Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

नारायण कुमावत वगैरहा —प्रार्थीगण	बनाम	राजू कुमावत वगैरहा —विपक्षीगण		
किस्मा मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र	नं0 321	सन् 2025		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.08.2025	राजस्व प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 05 (2) जा0दी0 का बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अमित कोठारी हाजिर होकर एक पक्षीय अंतरिम बहस हेतु निवेदन किया और प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित वाद संख्या 86/2015 उनवान देवा बनाम भैरू में पारित निर्णय दिनांक 22.08.2025 की अपीलीय अवधि तक पालना नहीं करने हेतु तहसीलदार भीलवाडा को आदेशित करने का निवेदन किया साथ ही वर्तमान राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का रद्दो बदल नहीं करने हेतु पाबन्द करने का निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। साथ ही सम्बन्धित विधि आदेश 41 नियम 05 उपनियम 02 जा0दी0 का अनुशीलन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाना प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एक पक्षीय रूप से स्वीकार कर तहसीलदार भीलवाडा को आदेशित किया जाता है कि न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाडा द्वारा निर्णित वाद संख्या 86/2015 उनवान देवा बनाम भैरू निर्णय दिनांक 22.08.2025 की पालना अपीलीय अवधि (02 माह) तक नहीं करें तथा अपीलीय अवधि में वादग्रस्त भूमि की राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। तहसीलदार भीलवाडा को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हों। 29/8/25 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	